

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक-एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./एफ.आर.यू./84डी-वॉ-2/2015-16/7399-75 दिनांक 16.10.2015

विषय-प्रदेश के एफ0आर0यू0 पर विशेषज्ञ चिकित्सकों को कॉल पर बुलाने की व्यवस्था एवं मानदेय के
सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय/महोदया,

भारत सरकार से प्राप्त आर0ओ0पी0 दिनांक 17.08.2015 में प्रदेश के जनपदों की प्रस्तावित प्रथम सन्दर्भन इकाइयों पर नियमित/संविदा/EMOC या LSAS प्रशिक्षित विशेषज्ञ उपलब्ध न होने की स्थिति में भारत सरकार द्वारा ऑनकॉल विशेषज्ञों की व्यवस्था की गयी है। यह व्यवस्था राजकीय सेवा में कार्यरत निश्चेतक या शल्यक/गायनेकॉलजिस्ट एवं निजी क्षेत्र में कार्यरत निश्चेतक या शल्यक/गायनेकॉलजिस्ट दोनों को ही अनुमन्य है जिसका विवरण इस प्रकार है-

1. **निजी क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों को कॉल पर बुलाने की व्यवस्था-** जनपद स्तर पर चिन्हित 286 एफ0आर0यू0 इकाइयों पर नियमित अथवा पूर्णकालिक संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता न होने पर निजी क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ (निश्चेतक या गायनेकॉलजिस्ट/शल्यक) को सीजेरियन प्रसव हेतु कॉल करने की व्यवस्था दी गयी है।
 - ✓ इन कॉल्स का उपयोग आपातकालीन सिजेरियन प्रसव के लिए ही किया जाना है। ध्यान रहे कि यह व्यवस्था उन्ही इकाइयों पर नियमित रूप से कार्यरत विभागीय चिकित्सकों के लिए नहीं लागू होगी।
 - ✓ इस कार्य के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रचार-प्रसार के माध्यम से अपने जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में कॉल पर कार्य करने के इच्छुक विशेषज्ञों से सहमति पत्र प्राप्त किया जाय, तदपश्चात उनकी सूची को इम्पैनल कर जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा अनुमोदित करवा लिया जाय। इस पैनल में चयनित विशेषज्ञों को एफ0आर0यू0 इकाइयों में से एक या एक से अधिक इकाई का चयन करने का अवसर दिया जा सकता है। यह सूची जनपद एवं ब्लॉक स्तर पर सम्बन्धित अधिकारियों को उपलब्ध कराने के पश्चात सभी सम्बन्धित इकाइयों पर प्रदर्शित भी करा दी जाय जिससे आवश्यकतानुसार इन विशेषज्ञों को ऑन कॉल के आधार पर बुलाया जाये।
 - ✓ इनकी सेवायें प्राप्त करने के पश्चात् प्रति कॉल एवं प्रति सीजेरियन की दर से भुगतान किया जाये।
 - ✓ जनपद में स्त्री रोग विशेषज्ञ संविदा पर उपलब्ध न होने की स्थिति में शल्य चिकित्सक (एम0एस0 जनरल सर्जरी) को, जो जटिल प्रसव एवं सीजेरियन प्रसव में कुशल हो, सूचीबद्ध कर सेवाएं ली जा सकती हैं।
 - ✓ किसी स्थिति में यह सुविधा चिन्हित 286 एफ0आर0यू0 की सूची से बाहर की इकाइयों में अनुमन्य नहीं होगी।
 - ✓ उन इकाइयों के लिये जिला स्वास्थ्य समिति को संज्ञान में लेकर यह सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी -
 - ✓ जहाँ विशेषज्ञ लम्बी छुट्टी पर गये हैं अथवा गैर हाजिर हैं।
 - ✓ जहाँ सीजेरियन ऑपरेशन का भार 100 केस प्रति माह से अधिक है एवं इकाई पर मात्र 1 निश्चेतक या शल्यक/गायनेकॉलजिस्ट तैनात है।

- ✓ जनपद स्तर की इकाइयों पर शल्यक/गायनेकॉलजिस्टको रू0-4000.00 प्रति सीजेरियन एवं निश्चेतक को रू0-2500.00 प्रति सीजेरियन देय है। जनपद की ग्रामीण इकाइयों पर उपर्युक्त के साथ साथ नियत रू0-1000.00 यात्रा भत्ता भी देय होगा।
- ✓ इन कॉल्स का उपयोग सिजेरियन प्रसव के लिए ही किया जायेगा।
- ✓ 1 सीजेरियन प्रसव के लिये 1 ही विशेषज्ञ की कॉल अनुमन्य होगी चाहे वह निश्चेतक हो या शल्यक/गायनेकॉलजिस्ट जिससे ई0एम0ओ0सी0 टीम का पूर्णकालिक विशेषज्ञ पोस्ट ऑपरेटिव केयर कर सके।

वित्तीय व्यवस्था-

निजी क्षेत्र में कार्यरत शल्यक/गायनेकॉलजिस्ट विशेषज्ञों को बुलाने के लिये वर्ष 2015-16 के लिये एफ0एम0आर0 कोड-ए.8.1.10.3 में औसतन रू0-4500.00 (50 प्रतिशत में यात्रा भत्ता की आवश्यकता के दृष्टिगत) की दर से धनराशि अनुमन्य की गयी है। जनपदों को उनके सीजेरियन प्रसव भार के अनुपात में 13326 कॉल एवं रू0-599.6700 लाख की धनराशि संलग्न जनपदवार फांट (संलग्नक-1) के अनुसार आबंटित की जा रही हैं।

निजी क्षेत्र में कार्यरत निश्चेतक विशेषज्ञों को बुलाने के लिये औसतन रू0-3000.00 (50 प्रतिशत में यात्रा भत्ता की आवश्यकता के दृष्टिगत) की दर से एफ0एम0आर0 कोड-ए.8.1.10.4 में धनराशि अनुमन्य की गयी है। जनपदों को उनके सीजेरियन प्रसव भार के अनुपात में निश्चेतक की 15000 कॉल एवं रू0-450.00 लाख की धनराशि संलग्न जनपदवार फांट (संलग्नक-1) के अनुसार आबंटित की जा रही हैं।

2. राजकीय क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों को कॉल पर बुलाने की व्यवस्था- जनपद स्तर पर चिन्हित 286 एफ0आर0यू0 इकाइयों पर नियमित/संविदा/EMOC या LSAS प्रशिक्षित विशेषज्ञ अथवा पूर्णकालिक संविदा विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता न होने पर राजकीय क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञ (निश्चेतक या शल्यक/गायनेकॉलजिस्ट) जो प्रशासनिक पदों पर कार्यरत हैं, से सीजेरियन प्रसव हेतु ऑन कॉल सेवायें ली जा सकती हैं जिसकी व्यवस्था निम्नानुसार है-
 - ✓ राजकीय क्षेत्र में कार्यरत शल्यक/गायनेकॉलजिस्ट एवं निश्चेतक को चिन्हित एफ0आर0यू0 पर सीजेरियन प्रसव के लिये कॉल किये जाने का प्राविधान है।
 - ✓ उन इकाइयों के लिये यह सुविधा उपलब्ध कराई जा सकेगी -
 - जहाँ विशेषज्ञ लम्बी छुट्टी पर गये हैं अथवा बिना सूचना के गैर हाजिर हैं।
 - जहाँ सीजेरियन ऑपरेशन का भार 100 केस प्रति माह से अधिक है एवं इकाई पर मात्र 1 निश्चेतक या शल्यक/गायनेकॉलजिस्ट तैनात है।
 - ✓ जनपद स्तर की इकाइयों पर शल्यक/गायनेकॉलजिस्ट अथवा निश्चेतक को रू0-2500.00 प्रति सीजेरियन देय है। जनपद की ग्रामीण इकाइयों पर उपर्युक्त के साथ साथ नियत रू0-1000.00 यात्रा भत्ता भी देय होगा। यदि कोई विशेषज्ञ एक ग्रामीण क्षेत्र की क्रियाशील एफ0आर0यू0 पर कार्यरत है और दूसरी ग्रामीण एफ0आर0यू0 पर कॉल के लिये जाता है तो भी उसे यह यात्रा भत्ता देय होगा।
 - ✓ किसी चिन्हित एफ0आर0यू0 पर तैनात एस0आई0सी0/सी0एम0एस0/एम0एस0 आदि को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी किन्तु वहाँ शल्यक/गायनेकॉलजिस्ट अथवा निश्चेतक के पद पर तैनात विशेषज्ञ को यह सुविधा देय होगी।
 - ✓ स्त्री रोग विशेषज्ञ, निश्चेतक एवं अन्य सेवा प्रदाता का राष्ट्रीय दिशा निर्देशानुसार MCI द्वारा मान्य Digree/Diploma अथवा EmOC या LSAS प्रशिक्षित होना अनिवार्य होगा।

- ✓ इन कॉल्स का उपयोग सिजेरियन प्रसव के लिए ही किया जाना है।
- ✓ किसी भी स्थिति में चिन्हित प्रथम सन्दर्भन इकाई पर नियमित अथवा संविदा पर विशेषज्ञ तैनात/उपलब्ध होने पर यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।

वित्तीय व्यवस्था-

राजकीय क्षेत्र में कार्यरत शल्यक/गायनेकॉलजिस्ट/निश्चेतक विशेषज्ञों को बुलाने के लिये औसतन ₹0-3000.00 (50 प्रतिशत में यात्रा भत्ता की आवश्यकता के दृष्टिगत) की दर से एफ0एम0आर0 कोड-ए.8.1.10.2 में ₹0-276.00 लाख धनराशि अनुमन्य की गयी है। जनपदों को उनके सीजेरियन प्रसव भार के अनुपात में 9200 कॉल एवं ₹0-276.00 लाख की धनराशि संलग्न जनपदवार फांट (संलग्नक-1) के अनुसार आबंटित की जा रही हैं।

3. अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं रिपोर्टिंग:-

- जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य समिति इस योजना के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है। इसके लिये जनपद स्तर पर विशेष रणनीति विकसित की जाय।
- प्रत्येक मुख्य चिकित्साधिकारी का उत्तरदायित्व है कि वे अपने जनपद की सभी प्रस्तावित एफ0आर0यू0 को क्रियाशील किये जाने के लिये स्वीकृत “विशेषज्ञों को कॉल पर बुलाने की व्यवस्था” की योजना की जानकारी इकाई प्रभारियों तक अवश्य पहुँचा दें।
- किसी भी दशा में ऑन कॉल विशेषज्ञों की व्यवस्था प्रोत्साहन धनराशि उन एफ0आर0यू0 पर देय नहीं होगी जहाँ नियमित अथवा संविदा विशेषज्ञ अथवा ई0एम0ओ0सी0/एल0एस0ए0एस0 प्रशिक्षण प्राप्त चिकित्सक उपलब्ध हैं।
- प्रोत्साहन धनराशि मासिक आधार पर वितरित की जायेगी, इस प्रोत्साहन धनराशि का भुगतान तब तक नहीं किया जायेगा जब तक एफ0आर0यू0 के प्रभारी द्वारा सूचित प्रदर्शन/उपलब्धियों का सत्यापन जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा नामित पर्यवेक्षक अथवा समकक्ष अधिकारी द्वारा निष्पक्ष रूप से न कर लिया जाये।
- प्रत्येक माह जिलों के मुख्य चिकित्साधिकारी अपने जिले की इस प्रोत्साहन धनराशि के आबंटन की मासिक सूचना संलग्न रिपोर्टिंग प्रपत्र (संलग्नक-2) पर अध्यक्ष जिला कार्यकारी समिति को अवलोकित करायेंगे एवं नियमित रूप से राज्य स्तर पर महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें एवं एस0पी0एम0यू0 को प्रेषित करेंगे। यह रिपोर्ट ई-मेल monitoringcell.dgmh@gmail.com एवं upnhmfu@gmail.com पर भी प्रेषित की जायेगी।
- प्रदेश के एफ0आर0यू0 पर विशेषज्ञ चिकित्सकों को कॉल पर बुलाने की व्यवस्था हेतु उपर्युक्तानुसार ₹0-1325.67 लाख की धनराशि संलग्न जनपदवार फांट के अनुसार जनपदों को अवमुक्त की जा रही है।
- किसी भी विशेषज्ञ को किसी भी स्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जाय।
- प्राविधानित धनराशि का व्यय आबंटित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जाय।
- धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की

स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि आबंटित की गयी है उसी सीमा तक व्यय नियमानुसार किया जाये।

- व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियाँ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्त मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- आवंटित धनराशि का व्यय शासकीय एवं विभागीय नियम एवं शर्तों का पालन करते हुए किया जाय।
- उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक-यथोक्त

भवदीय,
16/10/15
(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक
तददिनांक।

पत्रसंख्या-एन.एच.एम./एस.पी.एम.यू./एफ.आर.यू./84डी-वॉ-2/2015-16

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2 महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, स्वास्थ्य भवन, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3 समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 4 समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- 5 समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।
- 6 समस्त मुख्य चिकित्सा अधीक्षिका/अधीक्षक, जिला महिला चिकित्सालय/जिला संयुक्त चिकित्सालय, उ०प्र०।
- 7 वित्त नियंत्रक-एन०एच०एम०, एस०पी०एम०यू०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 8 समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक, एन०एच०एम०, उ०प्र०।
- 9 समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक-एन०एच०एम०, उत्तर प्रदेश।
- 10 गार्ड फाइल।

(अमित कुमार घोष)
मिशन निदेशक

No of Ceasarean calls allowed for Specialists for FRUs in 2015-16 to districts

S.No.	District	No. Of Calls allowed in year 2015-16 from Govt sector specialists (Surg/Gyn/Anaesth)	Budget for Govt sector @ Rs 2500.00 for surg/gyn (Additional TA Rs 1000.00 for rural calls only)	No. Of Calls from Private sector allowed in year 2015-16 for Surg/Gyn	Budget for Private sector @ Rs 4000.00 for surg/gyn (Additional TA Rs 1000.00 for rural calls only)	No. Of Calls from Private sector allowed in year 2015-16 for Anaesthetists	Budget for Private sector @ Rs 2500.00 for Anaesthetist (Additional TA Rs 1000.00 for rural calls only)	Total Budget for FRU operationalization by calling specialists on call
	FMR Code	A.8.1.10.2			A.8.1.10.3		A.8.1.10.4	
1	Agra	169	5.0700	235	10.5750	260	7.8000	23.4450
2	Aligarh	169	5.0700	235	10.5750	266	7.9800	23.6250
3	Allahabad	200	6.0000	312	14.0400	352	10.5600	30.6000
4	Ambedkar Nagar	170	5.1000	235	10.5750	270	8.1000	23.7750
5	Amethi	102	3.0600	141	6.3450	162	4.8600	14.2650
6	Amroha	102	3.0600	141	6.3450	156	4.6800	14.0850
7	Auriya	34	1.0200	47	2.1150	52	1.5600	4.6950
8	Azamgarh	170	5.1000	235	10.5750	268	8.0400	23.7150
9	Baghpat	136	4.0800	188	8.4600	208	6.2400	18.7800
10	Bahraich	100	3.0000	156	7.0200	176	5.2800	15.3000
11	Ballia	136	4.0800	188	8.4600	216	6.4800	19.0200
12	Balrampur	100	3.0000	156	7.0200	176	5.2800	15.3000
13	Banda	68	2.0400	94	4.2300	108	3.2400	9.5100
14	Barabanki	200	6.0000	312	14.0400	352	10.5600	30.6000
15	Bareilly	100	3.0000	156	7.0200	176	5.2800	15.3000
16	Basti	68	2.0400	94	4.2300	108	3.2400	9.5100
17	Bijnor	68	2.0400	94	4.2300	104	3.1200	9.3900
18	Budaun	150	4.5000	234	10.5300	264	7.9200	22.9500
19	Bulandshair	102	3.0600	141	6.3450	156	4.6800	14.0850
20	Chandauli	136	4.0800	188	8.4600	208	6.2400	18.7800
21	Chitrakoot	34	1.0200	47	2.1150	54	1.6200	4.7550
22	Deoria	68	2.0400	94	4.2300	108	3.2400	9.5100
23	Etah	100	3.0000	156	7.0200	176	5.2800	15.3000
24	Etawah	102	3.0600	141	6.3450	156	4.6800	14.0850
25	Faizabad	200	6.0000	312	14.0400	352	10.5600	30.6000
26	Farrukhabad	150	4.5000	234	10.5300	264	7.9200	22.9500
27	Fatehpur	136	4.0800	188	8.4600	208	6.2400	18.7800
28	Firozabad	136	4.0800	188	8.4600	208	6.2400	18.7800
29	GB Nagar	136	4.0800	188	8.4600	208	6.2400	18.7800
30	Ghaziabad	101	3.0300	138	6.2100	156	4.6800	13.9200

31	Ghazipur	102	3.0600	141	6.3450	156	4.6800	14.0850
32	Gonda	100	3.0000	156	7.0200	176	5.2800	15.3000
33	Gorakhpur	102	3.0600	141	6.3450	162	4.8600	14.2650
34	Hamirpur	67	2.0100	94	4.2300	108	3.2400	9.4800
35	Hapur	68	2.0400	94	4.2300	104	3.1200	9.3900
36	Hardoi	150	4.5000	234	10.5300	264	7.9200	22.9500
37	Hathras	102	3.0600	141	6.3450	162	4.8600	14.2650
38	Jalaun	68	2.0400	94	4.2300	108	3.2400	9.5100
39	Jaunpur	135	4.0500	188	8.4600	208	6.2400	18.7500
40	Jhansi	102	3.0600	141	6.3450	162	4.8600	14.2650
41	Kannuj	100	3.0000	156	7.0200	174	5.2200	15.2400
42	Kanpur Dehat	102	3.0600	141	6.3450	156	4.6800	14.0850
43	Kanpur Nagar	306	9.1800	414	18.6300	468	14.0400	41.8500
44	Kasganj	100	3.0000	156	7.0200	176	5.2800	15.3000
45	Kaushambi	200	6.0000	312	14.0400	352	10.5600	30.6000
46	Kheri	148	4.4400	234	10.5300	264	7.9200	22.8900
47	Kushinagar	68	2.0400	94	4.2300	108	3.2400	9.5100
48	Lalitpur	101	3.0300	141	6.3450	162	4.8600	14.2350
49	Lucknow	612	18.3600	828	37.2600	936	28.0800	83.7000
50	Maharajganj	150	4.5000	234	10.5300	264	7.9200	22.9500
51	Mahoba	68	2.0400	94	4.2300	108	3.2400	9.5100
52	Mainpuri	68	2.0400	94	4.2300	104	3.1200	9.3900
53	Mathura	170	5.1000	235	10.5750	260	7.8000	23.4750
54	Mau	68	2.0400	94	4.2300	108	3.2400	9.5100
55	Merrut	102	3.0600	141	6.3450	156	4.6800	14.0850
56	Mirzapur	150	4.5000	234	10.5300	264	7.9200	22.9500
57	Moradabad	68	2.0400	94	4.2300	104	3.1200	9.3900
58	Muzaffer Nager	68	2.0400	94	4.2300	104	3.1200	9.3900
59	Pilibhit	100	3.0000	156	7.0200	176	5.2800	15.3000
60	Pratapgarh	102	3.0600	141	6.3450	156	4.6800	14.0850
61	Raebareli	102	3.0600	141	6.3450	156	4.6800	14.0850
62	Rampur	50	1.5000	78	3.5100	88	2.6400	7.6500
63	Saharanpur	102	3.0600	141	6.3450	156	4.6800	14.0850
64	Sambhal	68	2.0400	94	4.2300	104	3.1200	9.3900
65	Sant Kabir Nagar	200	6.0000	312	14.0400	352	10.5600	30.6000
66	Shajahanpur	150	4.5000	234	10.5300	264	7.9200	22.9500
67	Shamli	34	1.0200	47	2.1150	52	1.5600	4.6950
68	Sidharth Nagar	150	4.5000	234	10.5300	264	7.9200	22.9500
69	Sitapur	148	4.4400	234	10.5300	264	7.9200	22.8900

70	Sonebhadra	150	4.5000	234	10.5300	264	7.9200	22.9500
71	Srawasti	150	4.5000	234	10.5300	264	7.9200	22.9500
72	SRN - Bhadohi	102	3.0600	141	6.3450	162	4.8600	14.2650
73	Sultanpur	68	2.0400	94	4.2300	108	3.2400	9.5100
74	Unnao	135	4.0500	188	8.4600	208	6.2400	18.7500
75	Varanasi	101	3.0300	141	6.3450	156	4.6800	14.0550
76	Total	9200	276.0000	13326	599.6700	15000	450.0000	1325.6700